12/11/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई उभय
पक्ष उप० / पार कार्यवाही किया जाता
है विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर पारित
शामिल किया जाता है उक्त पत्रावली नंबर
से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2015/00066

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : संदीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28/2015 **दायर दिनांक : 02.03.2015**

CMS:-2015/00066

सावित्री पुत्री स्व. सहीराम पुत्र श्री नंदराम पत्नी श्री औमप्रकाश जाति कम्हार निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादीया

बनाम

1. कालूराम (मृतक)
   1/1. हुक्माराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार निवासी संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   1/2. ख्यालीराम पुत्र कालूराम (मृतक)
   1/2 (क) हंसराज उर्फ हरचन्द
   1/2 (ख) लीला
   1/2 (ग) बायली
   1/2 (घ) फूसा
   } पुत्र/पुत्री ख्यालीराम अकवाम कुम्हार निवासीयान करनीसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   1/3 शंकरलाल पुत्र श्री कालूराम जाति कुम्हार निवासी संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   1/4 गीता देवी पुत्री श्री कालूराम पत्नी श्री मघाराम जाति कुम्हार निवासी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. कुम्भाराम
   2/1. बृजा देवी बेवा कुम्भाराम
   2/2. मनीराम
   2/3. काशीराम
   2/4. गुडडी
   } पुत्र/पुत्री कुम्भाराम अकवाम कुम्हार निवासीयान जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. बेगाराम पुत्र नंदराम जाति कुम्हार निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़।
4. रामचन्द्र (मृतक)
   4/1. औमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी करनीसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   4/2. कृष्ण
   4/3. मदन
   } पुत्रगण राम चन्द्र अकवाम कुम्हार निवासीयान चक 9 केएचएम तहसील पुगल जिला बीकानेर।
   4/4. मीरा देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नि सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी दन्तौर तहसील पुगल जिला बीकानेर।
   4/5. बोगी देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी मनीराम जाति कुम्हार निवासी 9 केएचएम तहसील पुगल जिला बीकानेर।
   4/6. राजो देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नि मंगतूराम जाति कुम्हार निवासी 5 बीएलएम तह. श्रीविजयनगर।
5. दाखा (मृतक)
   5/1. डालाराम पुत्र दाखा
   5/1 (क) हनुमान पुत्र डालाराम जाति कुम्हार निवासी 5 बीएनडब्ल्यू बीरमाना तहसील सूरतगढ़
   5/2. अन्नूराम पुत्र दाखा पुत्री नन्दराम पत्नि नानूराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़।
   5/3. नोरा देवी पुत्री दाखा जाति कुम्हार निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

क्रमशः पेज 2 पर.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

6. लिछमां पुत्री नन्दराम (मृतक)

6/1. हनुमान
6/2. रामस्वरूप
6/3. बलराम
} पुत्रगण लिछमा पत्नी आसाराम अकवाम कुम्हार निवासीयान वार्ड सं. 16 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

6/4. माया देवी पुत्री लिछमा पत्नि प्रेमजी जाति कुम्हार निवासी ताराचन्द्र वाटिका के पास श्रीगंगानगर।

7. कान्ता देवी पत्नी लालचन्द जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 16 सूरगढ़ तहसील सूरतगढ़।
8. सुखप्रीत कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जट सिख साकिन दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रींगगानगर।
9. श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
10. उपपंजीयक सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92(ए) 53, 183 एवं 209
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:

1. श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक वादी
2. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/4, 2/2, 2/3, 3, 5/1, 5/2
3. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 7, 8
4. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय **दिनांक :** 12.11.2024

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 92(ए), 183, 209 आर. टी.ए. में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया के दादा नंदराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति कुम्हार के नाम चक 10 एस.डी. के खाता सं. 19/14 प.न. 110/403, 110/404, 110/405 में 3.593 है. खाता सं. 66/70 के प.न. 111/403 / = 1.493 है. खाता सं. 77/70 प.न. 110/405 में 1.088 है. चक 10 एस.डी.ए. खाता सं. 58/53 प.न. 111/405 में 0.898 है. कुल 53.15 बीघा भूमि में 1/7 हिस्सा घोषित करवाने हेतू एक वाद पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया था जिसमें उसे नंदराम पुत्र श्री धन्नाराम की भूमि में उसके पुत्र सहीराम के माध्यम से 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित करने का अनुतोष मांगा गया था उक्त वाद सावित्री बनाम कुम्भाराम वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन हे इसके अतिरिक्त एक वाद सावित्री बनाम कुम्भा चक 1 के.एस.एम. खाता सं. 62/56 भूमि 10.222 खातेदारी हेतू घोषणात्मक वाद 106/2008 नंदराम के नाम अंकित भूमि में वादिया ने सहीराम के माध्यम से हिस्से की घोषणा चाही थी जो दिनांक 22.02.2014 को स्वीकार की जाकर डिक्री दिया को नंदराम की भूमि में सहीराम का जायज वारिस मानते हुए वादिया को खातेदार कृषक घोषित किया गया। नंदराम के नाम से इस भूमि के अतिरिक्त रोही करनीसर खाता सं. 4/5 ख.स. 36 में 3.972 है. बारानी दोयम भूमि भी थी जिसके बारे में ज्ञान ना

क्रमशः पेज 3 पर......

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

होने से वादिया पूर्व में हको की घोषणा हेतू वाद नहीं कर सकी और इस भूमि 3.972 है. भूमि में अपने हिस्से का विक्रय पत्र अंकित काश्तकारों ने प्रतिवादी सं. 7 व 8 ने अपने हिस्से से अधिक विक्रय कर दिया जो वादियो के हकों पर निष्प्रभावी है वादिया ने इस वाद के द्वारा किये गये हस्तांतरण को निष्प्रभावी बताते हुए तहसील सूरतगढ़ के रोही करणीसर तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 4/5 ख.स. 36 में अंकित 3.972 है. भूमि में जो कि नंदराम की थी उसके पुत्र सहीराम के माध्यम से अपने 1/7 हिस्से का वाद किये गये हस्तांतरण अप्रभावी मानते हुए वादिया को उक्त भूमि में 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने की प्रार्थना की गई।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/4, 2/2, 2/3, 3, 5/1, 5/2 की ओर से राकेश सारस्वत अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 7, 8 की ओर से अशोक छाबड़ा अधिवक्ता उपस्थित आये प्रतिवादी सं. 10, 4/1, 4/2 ता 4/6 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए। इसी प्रकार प्रतिवदी सं. 2/4, 5/3, 6/1 ता 6/4 को दैनिक समाचार पत्र में तलबी होने के पश्चात भी प्रस्तुत ना होने पर इकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए। प्रतिवादी सं. 7 व 8 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ, बाद आने जवाब निम्न प्रकार से तनकीयात् कायम कर साक्ष्य लिये गये:–

1. आया बैयनामां दिनांक 11.02.2015 को राजस्व न्यायालय को निरस्त करने का अधिकार नहीं है? ....वादीया
2. आया रोही करणीसर के खाता सं. 4 ख.स. 36 की 3.792 है. बारानी भूमि में वारिस का 1/4 हिस्सा बनता है? ....वादीया
3. आया प्रतिवादी सं. 1/1 ता 6/4 द्वारा अपने नाम की अंकित भूमि प्रतिवादी सं. 7 व 8 को जरिये बैयनामां दिनांक 11.02.2015 को बेचान की दी वादिया का 1/4 हिस्सा बेचान नहीं हुआ वादिया का हिस्सा सुरक्षित है? ....वादीया
4. आया बैयनामां दिनांक 11.02.2015 को निरस्त करने का अधिकार क्षेत्र सिविल न्यायालय को है। वाद पत्र क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया है? ....वादिया
5. आया चक 10 एस.डी. व चक 10 एस.डी.ए. की 53.15 बीघा संयुक्त खाता का वाद पत्र 62/2009 सावित्री देवी बनाम कुम्भाराम राजस्व मंडल अजमेर में जैरकार है इसलिए वर्तमान वाद पत्र व प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी. सब ज्युडिस होने के कारण वाद पत्र स्थगित किये जाने योग्य है? ....प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य वादी की ओर से शपथ पत्र पर वाद के समर्थन में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया अन्य किसी द्वारा ना तो किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और ना ही शपथ पत्र पर अपने बयान प्रस्तुत किये बाद आने साक्ष्य तर्क सुने गयें

क्रमशः पेज 4 पर ....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

योग्य अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रस्तुत साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाया इसमें नामांतरकरण रजिस्टर के अनुसार रोही करणीसर के ख.स. 36 में 15.14 बीघा रकबा नंदराम के नाम से अंकित है इसमें उसके वारिस कालूराम, कुम्भाराम, बेगाराम, रामचन्द्र व दाखा, लिछमां पुत्र/पुत्रियॉ नंदराम बताये गये है ग्राम पंचायत जानकीदासवाला वारिस प्रमाण पत्र अनुसार सहीराम को नंदराम का पुत्र बताते हुए सावित्री को सहीराम की पुत्री बताते हुए प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि ओर ध्यान दिलाया व प्रस्तुत जमाबंदी में खाते की ओर ध्यान दिलाकर कालूराम वगै. के नाम वाद ग्रस्त भूमि का खाता कायम होना सिद्ध बताया है व सहीराम का नाम छिपाकर उसके हिस्से को हड़पने की गरज से इस भूमि का हस्तांतरण होना भी बताया है। अभिभाषक वादिया का तर्क है कि पूर्व के वादो में वादिया को नंदराम की भूमि में सहीराम के माध्यम से 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है इसी अनुसार किये गये हस्तांतरण को अधिकातीत हस्तांतरण मानते हुए प्राथमिकता अधिकारहीन हस्तांतरण होने से वादिया को वादग्रस्त भूमि में 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें इसी अनुसार वाद पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 7 ता 8 ने निवेदन किया कि वादिया के हक की भूमि अभी तक खाते में विधमान है खरीददारान के हकूक की रक्षा की जावें इसके अतिरिक्त पूर्व के वादों में रोही करणीसर की भूमि छोड़ दी गई है। व्यवहार प्रक्रिया के अनुसार एक वाद कारण हेतू सभी अनुतोष एक साथ लिये जाने चाहिये पूर्व के वादो में नंदराम की वर्तमान सम्पत्ति छोड दी गई है इसका अर्थ यह है कि वादिया इस भूमि में अपना हिस्सा नहीं मानती इसलिए भी वादीया का वाद निरस्ती योग्य है, प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

अभिभाषकगण के तर्क सुनने के बाद तर्को के परिपेक्ष्य में पूण प्त्रावली का अवलोकन व मनन किया गया तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:-

तनकी सं. 1:- आया बैयनामां दिनांक 11.02.2015 को राजस्व न्यायालय को निरस्त करने का अधिकार नहीं है? .....वादीया

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था वादिया द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिए किसी भी न्यायालय का न्यायिक निर्णय प्रस्तुत नहीं किया ना ही ऐसा कोई कानूनी प्रावधान बताये जिसमें बैयनामां निरस्त करने के अधिकार राजस्व न्यायालय को हो। यह सही है कि पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार मात्र व्यवहार न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को कतई नहीं है। इस तनकी को वादिया द्वारा सही किया गया है इस लिए खिलाफ वादिया बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है

तनकी सं. 2:- आया रोही करणीसर के खाता सं. 4 ख.स. 36 की 3.792 है. बारानी भूमि में वारिस का 1/4 हिस्सा बनता है. .....वादीया

क्रमशः पेज 5 पर.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था, वादिया द्वारा स्वयं के शपथ पत्र एवं पूर्व में दिये गये घोषणा के आदेशों की ओर ध्यान दिलाकर व सरपंच द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर इस तनकी को अपने पक्ष में आदेश करने का निवेदन किया, यह बिन्दु पूर्णतया सिद्ध है कि वादिया नंदराम की सहीराम के माध्यम से पोती है, इसे पूर्व के वादों में भी आदेशित किया गया ळे किन्तु इस वाद में स्वतंत्र गवाहों द्वारा इस बिन्दु को पुष्ट नहीं किया गया है ना ही प्रमाण पत्र को सरपंच के माध्यम से उसके बयान करवाकर पुष्ट किया गया है जो किया जाना आवश्यक है इस आधार पर यह तनकी संदेह से परे सिद्ध नहीं होती इसलिए यह तनकी वादिया के विरूद्ध संदेह के आधार पर निर्णित की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

तनकी सं. 3:– आया प्रतिवादी सं. 1/1 ता 6/4 द्वारा अपने नाम की अंकित भूमि प्रतिवादी सं. 7 व 8 को जरिये बैयनामां दिनांक 11.02.2015 को बेचान की दी वादिया का 1/4 हिस्सा बेचान नहीं हुआ वादिया का हिस्सा सुरक्षित है?

..........वादीया

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादिया द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया इस आधार पर यह तनकी विरूद्ध वादिया निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 4:– आया बैयनामां दिनांक 11.02.2015 को निरस्त करने का अधिकार क्षेत्र सिविल न्यायालय को है। वाद पत्र क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया है?

...........वादिया

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था, इस तनकी का सम्बंध तनकी न. 1 से है जो कि विरूद्ध वादिया निर्णित की गई है वास्तव में यह तनकी इस प्रकार से बननी थी कि आया वाद वादिया राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है इसको इसी प्रकार से मानकर यह अदालत यह निर्णय करती है कि राजस्व न्यायालय को किसी पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार नहीं है, इसी अनुसार इस तनकी का निर्णय किया जाता है।

तनकी न. 5 :– आया चक 10 एस.डी. व चक 10 एस.डी.ए. की 53.15 बीघा संयुक्त खाता का वाद पत्र 62/2009 सावित्री देवी बनाम कुम्भाराम राजस्व मंडल अजमेर में जैरकार है इसलिए वर्तमान वाद पत्र व प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी. सब ज्यूडिस होने के कारण वाद पत्र स्थगित किये जाने योग्य है?

.........प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी का भार प्रतिवादीगण ... यह सही कि प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है स्वयं वादिया यह स्वीकार करती है कि नंदराम की भूमि के सम्बंध में हिस्सेदारी का मामला राजस्व मण्डल में जैरकार है

क्रमशः पेज 6 पर......

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इसलिए इस तनकी को पूर्णरूप से वादी के कथनों से सिद्ध मानकर बहक प्रतिवादी निर्णय किया जाता है।

उपरोक्तानुसार चुंकि तनकी नं. 2 जो अहम तनकी है वह खिलाफ वादिया संदेह के आधार पर आदेशित की गई है व शेष तनकीयॉ मात्र तनकी न. 5 को छोड़कर वादिया सिद्ध नहीं कर पाई है विवादित बिन्दु राजस्व मण्डल अजमेर में विचारण में लम्बित है इसलिए इस स्तर वाद वादिया निरस्त होने योग्य होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश सुनाया गया, डिक्री जारी हो बाद तरतीब तकमील पत्रावली दाखिल दफतर की जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत — सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास — संदीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :—

सावित्री पुत्री स्व. सहीराम पुत्र श्री नंदराम पत्नी श्री औमप्रकाश जाति कम्हार निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

......वादीया

बनाम

1. कालूराम (मृतक)
   - 1/1. हुक्माराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार निवासी संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 1/2. ख्यालीराम पुत्र कालूराम (मृतक)
   - 1/2 (क) हंसराज उर्फ हरचन्द
   - 1/2 (ख) लीला
   - 1/2 (ग) बायली
   - 1/2 (घ) फूसा
     } पुत्र/पुत्री ख्यालीराम अकवाम कुम्हार निवासीयान करनीसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 1/3 शंकरलाल पुत्र श्री कालूराम जाति कुम्हार निवासी संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 1/4 गीता देवी पुत्री श्री कालूराम पत्नी श्री मघाराम जाति कुम्हार निवासी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. कुम्भाराम
   - 2/1. बृजा देवी बेवा कुम्भाराम
   - 2/2. मनीराम
   - 2/3. काशीराम
   - 2/4. गुडडी
     } पुत्र/पुत्री कुम्भाराम अकवाम कुम्हार निवासीयान जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. बेगाराम पुत्र नंदराम जाति कुम्हार निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़।
4. रामचन्द्र (मृतक)
   - 4/1. औमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी करनीसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 4/2. कृष्ण
   - 4/3. मदन
     } पुत्रगण राम चन्द्र अकवाम कुम्हार निवासीयान चक 9 केएचएम तहसील पुगल जिला बीकानेर।
   - 4/4. मीरा देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नि सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी दन्तौर तहसील पुगल जिला बीकानेर।
   - 4/5. बोगी देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी मनीराम जाति कुम्हार निवासी 9 केएचएम तहसील पुगल जिला बीकानेर।
   - 4/6. राजो देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नि मंगतूराम जाति कुम्हार निवासी 5 बीएलएम तह. श्रीविजयनगर।
5. दाखा (मृतक)
   - 5/1. डालाराम पुत्र दाखा
   - 5/1 (क) हनुमान पुत्र डालाराम जाति कुम्हार निवासी 5 बीएनडब्ल्यू बीरमाना तहसील सूरतगढ़
   - 5/2. अन्नूराम पुत्र दा[illegible] जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़।
   - 5/3. नोरा देवी पुत्री [illegible] तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 2 पर....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

6. लिछमां पुत्री नन्दराम (मृतक)
   6/1. हनुमान
   6/2. रामस्वरूप
   6/3. बलराम
   } पुत्रगण लिछमा पत्नी आसाराम अकवाम कुम्हार निवासीयान वार्ड सं. 16 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   6/4. माया देवी पुत्री लिछमा पत्नि प्रेमजी जाति कुम्हार निवासी ताराचन्द्र वाटिका के पास श्रीगंगानगर।
7. कान्ता देवी पत्नी लालचन्द जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 16 सूरगढ़ तहसील सूरतगढ़।
8. सुखप्रीत कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जट सिख साकिन दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रींगगानगर।
9. श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
10. उपपंजीयक सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92(ए) 183, 209 आर.टी.ए. मुकदमा न. 28 वर्ष 2015 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील प्रमेन्द्र सिंह वादीया, राकेश सारस्वत, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/4, 2/2, 2/3, 3, 5/1, 5/2 व अशोक कुमार छाबड़ा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 7, 8 पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादिया बाबत घोषणा, खाता विभाजन व कब्जा दिलवाये जाने भूमि रोही करणीसर तहसील सूरतगढ़ ख.स. 36 में 3.972 है. खातेदारी भूमि में वादिया को 1/7 हिस्से भूमि का खातेदार घोषित कर बाद खातेदार की घोषणा खाता विभाजन करवाया जाकर वादिया को कब्जा दिलाये जाने का प्रस्तुत होने पर निर्णय किया जाता है कि वाद वादिया संदेह से सिद्ध ना होने से निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज.....×..... मुबलिग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा .....×..... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12.11.2024 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested